"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2012/वाक/पांच (35).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 3 की उप-धारा 4, सहपठित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2012/वाक/पांच (28) दिनांक 16-05-2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (4) में अ.क्र. 4 के सामने शब्द "रायपुंर राजस्व तहसील की सीमा तक है." के पश्चात् शब्द "तिल्दा, नेवरा तथा खरोरा का क्षेत्र." जोड़ा जाय.

2. यह संशोधन दिनांक 01-06-2012 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2012

क्रमांक एफ-10/28/2012/वाक/पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2012/वाक/पांच (35), दिनांक 05-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th July 2012

NOTIFICATION

No. F-10/28/2012/CT/V (35).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), read with clause (e) of sub-rule (1) of rule 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, the State Government hereby the following amendment in the notification No. F-10-19/2012/CT/V (28) dated 16-05-2012, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in column (4) against S. No. 4 of Schedule after the word "Raipur revenue Tahsil." the word "Tilda, Neora and Kharora area" shall be added.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01-06-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.